न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, सहरसा।

बी0 सी0 सी0 ए0 वाद संख्या– 87/2020

राज्य बनाम विपिन मिश्र उर्फ घोलय

आदेश

यह कार्यवाही अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा–3 की उप धारा–3 के तहत की जा रही है। पुलिस अधीक्षक, सहरसा ने अपने पत्रांक–3718/अप0शा0 दिनांक–03.10.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि विपिन मिश्र उर्फ घोलय, पिता– स्व0 दिगम्बर मिश्र, साकिन– खजुरी, थाना– बखियारपुर (बलवाहाट ओ0पी0), जिला– सहरसा एक सक्रिय व कुख्यात अपराधकर्मी है। इनके द्वारा कई संगीन अपराधों को अंजाम दिया गया है। इनका सांठ गांठ कई सक्रिय अपराधकर्मियों के साथ है। इनके द्वारा किये गये अपराध से आमजनों में भययुक्त माहौल बना रहता है और इनके आतंक से लोग काफी भयभीत रहते हैं। वर्तमान में ये माननीय न्यायालय से जमानत पर मुक्त हैं। आगामी बिहार विधान सभा चुनाव– 2020 में ये विभिन्न दलों के साथ मिलकर अपनी दबंगता एवं अपराधिक गतिविधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे विधानसभा चुनाव 2020 को स्वच्छतम सम्पन्न कराने में व्यवधान पड़ने की संभावना बतायी गयी है। उक्त अपराधकर्मी को बाहर रहने से विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उक्त अपराधी भा0द0वि0 के अध्याय 16 एवं 17 में उल्लेखित दंडनीय अपराध में संलिप्त रहता है तथा अपराध नियंत्रण अधिनियम–1981 के धारा–2 (डी.) में वर्णित असामाजिक तत्व की परिभाषा इस पर पूर्ण रूप से लागू होता है। इनका अपराधिक इतिहास निम्नवत है।

i. बखियारपुर (बलवाहाट ओ0पी0) थाना कांड संख्या–209/2011, दि0–26.09.11, धारा–396 भा0द0वि0 आरोप पत्र सं0–231/12 दिनांक–17.08.12

पुलिस को सूचना मिली कि विपिन मिश्र उर्फ घोलय, असामाजिक तत्वों को एकत्र कर विधानसभा चुनाव 2020 में अपने समर्थित अभ्यर्थी के पक्ष में लोगों को मतदान करने के लिए डरा धमका रहे हैं जिससे आम मतदाता काफी भयभीत हैं। यह भी सूचना प्राप्त हुई कि इनके द्वारा आगामी चुनाव में व्यवधान उत्पन्न किये जाने की योजना बनाया जा रहा है, जिससे शांतिपूर्ण चुनाव में व्यवधान उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। उक्त आलोक में अधोहस्ताक्षरी न्यायालय से पत्रांक–591/न्याया0/सपत्र, दिनांक–06.10.2020 द्वारा नोटिस जारी कर प्रतिवादी को अपना कारण–पृच्छा समर्पित करने हेतु दिनांक– 12.10.2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न निर्धारित की गई। पुलिस अधीक्षक, सहरसा के पत्रांक–3880/अप०शा०, दिनांक–09.10.2020 से प्रतिवादी के नोटिस का तामिला प्रतिवेदन न्यायालय में

उपलब्ध कराया गया, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। प्रतिवादी निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। प्रतिवादी का कथन है कि पुलिस द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उनके विरूद्ध सिर्फ एक ही मामला बख्तियारपुर (बलवाहाट ओ0पी0) थाना कांड संख्या–209/2011 के दर्ज होने का उल्लेख है। उक्त थाना कांड से संबंधित मामले के अन्तर्गत माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें दोषमुक्त किया जा चुका है। प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में संबंधित मामले के अन्तर्गत पारित आदेश की प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर स्वयं को तड़ीपार के कार्रवाई से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

प्रतिवादी के ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी के विरूद्ध सिर्फ एक ही मामला अंकित है और उस मामले में भी उन्हें माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है। उक्त स्थिति में उनके अनुरोध के आलोक में उन्हें तड़ीपार की कार्रवाई से मुक्त किया जाता है।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, सहरसा/ थानाध्यक्ष बख्तियारपुर (बलवाहाट ओ0पी0) को भेजें।

आदेश की प्रति जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सहरसा को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति सहरसा जिला के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

जिला दण्डाधिकारी,
सहरसा।

जिला दण्डाधिकारी,
सहरसा

ज्ञापांक 709 /न्याया0, सहरसा, दिनांक– 17.10.20

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, सहरसा/थानाध्यक्ष बख्तियारपुर (बलवाहाट ओ0पी0) /जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सहरसा एवं जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
सहरसा।